न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–59 / 19

1. श्री घीसालाल पिता उदा जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

— — वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कजोड़ जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

— — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–89–188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री प्रहलाद मेघवाल– अभिभाषक वादी

श्री प्रकाश चन्द साहू –अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 29.07.2021

1. वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188, आर.टी.एक्ट.1955 में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी के साबिक नंबर 155 रकबा 16 बीघा 6 बीस्वा थे उक्त आराजी मेसे वादी श्री घीसालाल पिता उदा जाति कुमावत ने प्रतिवादी कमांक 01 श्री मोहनलाल पिता कजोड़ जाति कुमावत का 1/8 हिस्सा पंजीकृत विकय पत्र से दिनांक 23.05.1985 को कय किया था जिसकी प्रति पटवार हल्का को नामान्तरकरण हेतु दी थी लेकिन आज दिनांक तक नामान्तरकरण नहीं हो पाया है तथा तब से वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है वादी उक्त आराजी को अपनी खातेदारी की घोषणा करा कर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी होने से वाद घोषणा का पेश है।
2. प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया प्रतिवादी कमांक 01 की तरफ से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द साहू ने

अधिकार पत्र पेश किया तथा स्वयं वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वादी के पक्ष में डिक्री करने की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।

3. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा संलग्न दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया जिससे उक्त साबिक आराज़ी संख्या 155 रकबा 16 बीघा 6 बीस्वा थे जिसके 5 भाग बने उनमें से एक नया भाग 329 रकबा 0.41 हेक्ट0 बना था। तथा जमाबन्दी संवत् 2075–78 का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि उक्त आराजी वर्तमान में विक्रेता मोहनलाल पिता कजोड़ जाति कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.1985 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त साबिक आराजी संख्या 155 रकबा 16 बीघा 6 बीस्वा का 1/8 हिस्सा वादी ने प्रतिवादी ने क्रय किया था दौरान सुनवाई प्रतिवादी क्रमांक ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के पक्ष में निर्णय करने की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 को राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं।

4. अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 पर प्रतिवादी का नाम विलोपित कर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें ड्रिकी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़

मुल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—59 / 19

1. श्री घीसालाल पिता उदा जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

—— वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कजोड़ जाति कुमावत निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88—89—188 आर.टी.एक्ट 1955

दिनांकः—29.07.2021

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता वादी श्री प्रहलाद मेघवाल मिनजानिब मुदइ व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र साहू मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं सहमति अनुसार डिकी की जाती है कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है। तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा शिवपुरा पटवार हल्का जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 329 रकबा 0.41 हैक्ट0 पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(उपखण्ड अधिकारी ... छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ — seal)

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला — प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5............. रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल	01 02		1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5.......... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)